

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 3(1)साप्र/2/2025 पार्ट1-04173

जयपुर, दिनांक :

—: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी तृतीय श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 13 के प्रावधानानुसार प्रथम परिवर्तन के अंतर्गत एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :-

क्र.सं.	वरियता संख्या	आवंटी नाम व पदनाम	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवण्टित राजकीय आवास
1.	1652	श्री मुकेश कुमार, सहायक अनुभागाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर	30.11.2051	जीएडी/III/टी-2/134, विद्याधर नगर, (ए-12 जवाहर नगर के स्थान पर)
2.	1655	श्री जितेन्द्र सिंह रीडर ग्रेड प्रथम, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 4 जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर	31.05.2034	जीएडी/III/टी-1/146, विद्याधर नगर, (जीएडी/III/टी-2/15, विद्याधर नगर के स्थान पर)
3.	1686	श्री धीरज कुमार, नर्सिंग अधिकारी, जनाना अस्पताल, जयपुर	30.11.2047	जीएडी/III/टी-2/81, विद्याधर नगर, (ए-103 जवाहर नगर के स्थान पर)
4.	1694	श्रीमती कमला कुमारी, नर्सिंग अधिकारी, जनाना अस्पताल, जयपुर	31.07.2045	जीएडी/III/टी-2/82, विद्याधर नगर, (ए-149 जवाहर नगर के स्थान पर)

शर्तें :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
वरिष्ठ उप शासन सचिव



प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
3. उप शासन सचिव, कार्मिक ख विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
4. अधीक्षक, जनाना अस्पताल, चांदपोल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी अधिकारी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 4 जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. निदेशक, संपदा विभाग, संपदा निदेशालय, बनीपार्क, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
11. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/आरपीए परिसर, पानीपेच, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल/आरपीए परिसर, पानीपेच, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर/आरपीए परिसर, पानीपेच, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
14. संबंधित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आवास का कब्जा लेने से पूर्व विभाग द्वारा पूर्व में आवण्टित आवास रिक्त करते हुए इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे। साथ ही पूर्व आवंटित राजकीय आवास नियमानुसार अवधि में रिक्त कर कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग को संभलाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
15. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव